HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा **दिनांक 09.01.2025**

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी करते हुए धोखाधड़ी करने के अभियोग में 05 आरोपियों को *05 वर्ष का साधारण कारावास एवं 20-20 हजार रुपये (कुल एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड* से दण्डित कराया गया।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा ***थाना पिलखुवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 381/2022 धारा 420, 406, 419, 467, 468, 471, 411, 120बी भादवि व 66 डी आईटी एक्ट मामले में*** मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप ***मा0 न्यायालय सी0जे0एम हापुड़*** द्वारा ***05 आरोपियों को 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं 20-20 हजार रुपये (कुल एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया है।

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पताः-

1. आलोक कुमार पुत्र निलाम्बर झा निवासी रनहोला थाना विकास नगर नई दिल्ली।
2. धर्मेन्द्र उर्फ धर्मी पुत्र विमल प्रसाद निवासी संगम विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।
3. अरशद उर्फ आशु पुत्र अनीस निवासी महाऋषि गार्डन खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।
4. राहुल सिंह पुत्र पप्पू निवासी कमल विहार करावल नगर नोर्थ ईस्ट दिल्ली हाल पता गली नं0 03 रामपाल वाटिका राहुल विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
5. ऋषभ पुत्र नरेन्द्र निवासी गली नं0 03 प्रताप विहार पार्ट- 02 करारी थाना अमर विहार नई दिल्ली।